(प्रस्तावित)

मध्यप्रदेश
की
सहकारिता नीति

मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग
2022

मध्यप्रदेश की सहकारिता नीति

क्रमांक	विषय सूची		पृष्ठ क्रमांक
1	प्रस्तावना		1-2
2	परिभाषा, मूल्य व सिद्धान्त		2-4
3	प्रदेश में सहकारिता : वर्तमान परिदृश्य		4-5
4	राज्य में सहकारिता नीति की आवश्यकता		5-6
5	विजन, मिशन एवं उददेश्य/लक्ष्य		6-7
6	राज्य की सहकारिता नीति		8-18
	(1)	संस्थागत विकास	8-9
	(2)	संरचनागत एवं कानूनी सुधार	9-10
	(3)	सहकारिता में सूचना प्रौद्योगिकी	10
	(4)	सहकारिता को व्यवसाय का एक दक्ष मॉडल बनाना	10-11
	(5)	सहकारी समितियों में नवाचार को बढ़ावा देना	11-12
	(6)	मानव संसाधन विकास	12
	(7)	सहकारी शिक्षा-प्रशिक्षण	13
	(8)	अंकेक्षण/शिकायत निवारण	13
	(9)	सहकारिता के विशिष्ट सेक्टरों के लिए	13-18
		9.1 कृषि साख	13-15
		9.2 शहरी साख	15
		9.3 सहकारी विपणन	15
		9.4 सहकारी आवास	15
		9.5 उपभोक्ता सहकारिता	15-16
		9.6 सहकारी बीज उत्पादन व विपणन	16
		9.7 लघु वनोपज सहकारी समितियां	17
		9.8 डेयरी सहकारिता	17
		9.9 सहकारी मत्स्य पालन	17-18
7	कार्य योजना		18
8	उपसंहार		18

1. प्रस्तावना

सहकारिता (सहकारी संस्थाएं) सर्वस्पर्शी, सर्वोपरि, समाग्रहित एवं नेतृत्व का वह सशक्त माध्यम है, जिसमें पारस्परिक सहयोग, स्वावलम्बन और स्वदेशी की अनुगूंज सुनाई देती है। पूरे देश के तीन चौथाई से ज्यादा भाग को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समाजोत्थान कार्यो में जोड़ने, देश की एकता और व्यक्ति की जीवन शैली में बंधुत्व और सहयोग की भावना सुदृढ़ करने एवं आर्थिक सक्षमता प्रदान करने में सहकारिता ने अपरिहार्य भूमिका निभाई है।

सहकारिता की भावना मानव जाति के अभ्युदय से जुड़ी हुई है हालांकि औपचारिक संगठनों के रूप में सहकारी समितियों का उदय मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। वर्ष 1904 में भारत में सहकारी समिति अधिनियम लागू हुआ, जिसमें ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जीवन यापन करने वाले गरीबों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण देने हेतु साख समितियों के गठन का प्रावधान किया गया। इस प्रकार भारत में आधुनिक सहकारिता का प्रादुर्भाव हुआ।

वर्ष 1904-05 में ही मध्यप्रदेश (तत्कालीन सीपी एण्ड बरार) में सर्वप्रथम प्रदेश की पहली सहकारी समिति पिपरिया में गठित हुई जो मुख्यतः किसान एवं मजदूरों के हितों के लिए समर्पित थी। दिनांक 22.6.1907 को प्रदेश का प्रथम केन्द्रीय सहकारी बैंक "क्रोस्थवेट केन्द्रीय सहकारी बैंक" सिहोरा में पंजीकृत हुआ। इसके बाद क्रमशः सोहागपुर, होशंगाबाद एवं हरदा में सहकारी बैंकों का गठन हुआ तथा आने वाले वर्षों में प्रदेश में तेजी से विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओं जैसे - विपणन समितियां, नागरिक बैंक, भूमि विकास बैंक, उपभोक्ता समितियां, गृह निर्माण समितियां आदि का गठन प्रारम्भ हो गया। सहकारी आन्दोलन का एक व्यवस्थित और व्यावसायिक संगठन के रूप में विकास स्वाधीनता के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हुआ। तब से लेकर अभी तक सहकारी आन्दोलन में कई उतार-चढ़ाव आये हैं, किन्तु इसमें अन्तर्निहित मूल्यों और सिद्धान्तों पर आधारित जन-कल्याण एवं विकास की धारणा ने सहकारिता की प्रासंगिकता को कायम रखा है।

राज्य के सहकारिता आंदोलन की प्रगति के मार्ग में कई बाधाएं भी रहीं है। यद्यपि सहकारी संस्थाओं के गठन में संख्यात्मक वृद्धि होती रही है, फिर भी सहकारी संस्थाए अधोसंरचना व संसाधनों की कमी से निरन्तर जूझती रही हैं। शीर्ष सहकारी संस्थाऐं अपनी सदस्य संस्थाओं को मार्गदर्शन एवं अपेक्षित सहयोग प्रदान करने में आशातीत सफल नहीं रही हैं। सहकारी संस्थाओं के कार्यो एवं प्रबंधन में सदस्यों की अपेक्षित सक्रिय भागीदारी भी उत्साहवर्धक नहीं रही है।

अंत्योदय की अवधारणा पर आधारित मध्यप्रदेश में सहकारिता का मूल उद्देश्य सामान्यतः नागरिकों एवं विशेष रूप से कमजोर वर्गों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना रहा है। वर्तमान में सहकारी आन्दोलन के अंतर्गत नवाचार के माध्यम से सहकारिताओं को अधिक सशक्त एवं उपयोगी बनाते हुए नवीन क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के गठन से रोजगार सृजन के अवसर निर्मित कर समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्यिों के विकास के ठोस अवसर निर्मित करने की परम आवश्यकता है।

यह नीति प्रदेश में सहकारिता को जन-आंदोलन बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी और "आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश" एवं "सहकार से समृद्धि" के उद्देश्यों को हासिल कर "आत्मनिर्भर भारत" के आदर्श को वास्तविक रूप से साकार कर सकेगी।

2. <u>परिभाषा, मूल्य व सिद्धान्त</u>

2.1 परिभाषा

सहकारिता समान आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं व आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु स्वेच्छा से एकत्र हुए व्यक्तियों का ऐसा स्वशासी उपक्रम है जो एक संयुक्त स्वामित्व तथा लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रित उद्यम के रूप में कार्य करता है।

2.2 <u>मूल्य</u>

सहकारिताएं स्व-सहायता, स्व-उत्तरदायित्व, लोकतंत्र, समानता, एकता तथा सद्भावना के मूल्यों पर आधारित है। अपने संस्थापकों द्वारा स्थापित परंपरा में सहकारिता के सदस्य ईमानदारी, खुलेपन, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा परोपकार के नैतिक मूल्यों में विश्वास करते हैं।

2.3 सिद्धान्त

सहकारिता के सिद्धान्त वे मार्गदर्शक सिद्धान्त हैं, जिनके द्वारा सहकारिता अपने मूल्यों को व्यवहार में परिवर्तित करती है।

2.3.1 पहला सिद्धान्त - स्वैच्छिक तथा खुली सदस्यता

सहकारिताएं व्यक्तियों का मुक्त व स्वैच्छिक संगठन हैं जो अपनी सेवाओं का उपयोग करने में समर्थ हैं और सदस्यता के उत्तरदायित्व को लैंगिक, सामाजिक, जातीय, राजनीतिक या धर्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करने के लिए तत्पर होते हैं।

2.3.2 दूसरा सिद्धान्त - सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण

सहकारिताएं अपने उन सदस्यों द्वारा नियंत्रित लोकतांत्रिक संगठन है जो इसकी नीतियों के निर्धारण और विनिश्चयों में सक्रियता से भाग लेते हैं तथा प्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचित पुरूष तथा स्त्रियां सदस्यों के प्रति जवाबदेह होते हैं। सहकारिताओं के सदस्यों को "एक सदस्य - एक मत" के सिध्दान्त के आधार पर समान मतदान का अधिकार प्राप्त होता है।

2.3.3 तीसरा सिद्धात - सदस्यों की आर्थिक भागीदारी

सदस्य अपनी सहकारी संस्था की पूंजी में योगदान करते हैं तथा उसका लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रण करते हैं। उक्त पूंजी का कम से कम एक भाग सहकारिता की सार्वजनिक संपत्ति होती है। शेष पूंजी सदस्यों को उनकी अंशपूंजी के अनुपात में उनके लाभार्थ उपयोग होती है।

2.3.4 चौथा सिद्धान्त - स्वायत्तता तथा स्वतंत्रता

सहकारिताएं अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित स्वशासी आत्मनिर्भर संगठन हैं। यदि वे सरकार सहित दूसरे संगठनों से करार करते हैं, बाह्य स्त्रोतों से पूंजी जुटाते हैं तो वे ऐसा अपने सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए और अपनी सहकारिता को स्वायत्त बनाए रखते हुए करते हैं।

2.3.5 पांचवा सिद्धान्त - शिक्षा, प्रशिक्षण एवं सूचना

सहकारिताएं अपने सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराती हैं जिससे वे अपनी सहकारिताओं के

विकास में प्रभावी योगदान कर सकें। वे सहकारी समितियों की प्रकृति और लाभों के बारे में आम जनता, विशेषकर युवा वर्ग और नेताओं को अवगत कराती हैं।

2.3.6 छठा सिद्धान्त - सहकारिताओं में सहयोग

सहकारिताएं स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं के माध्यम से कार्य करते हुए अपने सदस्यों की प्रभावी सेवा करती हैं और सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ बनाती हैं।

2.3.7 सातवां सिद्धान्त- समुदाय के लिए सरोकार

सहकारिताएं अपने सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से अपने समुदायों के सतत विकास के लिए कार्य करती हैं।

3. प्रदेश में सहकारिता : वर्तमान परिदृश्य

मध्यप्रदेश में वर्तमान में सहकारिता मुख्यत: साख, कृषि आदान सामग्री के विपणन, आवास, उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय-विक्रय एवं वितरण, बीज उत्पादन व विपणन, लघु वनोपज, डेयरी, मत्स्य पालन क्षेत्रों तक सीमित है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (PACS) द्वारा कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि कृषि ऋण वितरण के अलावा रासायनिक खाद, बीजों आदि आदानों का साख सीमा अनुसार प्रदाय भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों का संचालन व समर्थन मूल्य पर फसलों का उपार्जन भी प्रमुखता से किया जाता है।

विपणन समितियों की शीर्ष संस्था मार्कफेड द्वारा भी गुणवत्तायुक्त कृषि आदान सामग्री का वितरण व प्रमुख फसलों का उपार्जन किया जाता है। संस्थागत बीज वितरण में सहकारी बीज उत्पादक समितियों का लगभग 75 प्रतिशत योगदान है। लघु वनोपज के संग्रहण, भण्डारण, प्रसंस्करण, विपणन का कार्य वृहद स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ द्वारा तथा डेयरी अन्तर्गत दुग्ध उपार्जन, प्रसंस्करण, उच्च गुणवत्ता युक्त दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति त्रिस्तरीय सहकारी संरचना अन्तर्गत सहकारी दुग्ध महासंघ/क्षेत्रीय दुग्ध संघों द्वारा की जाती है। राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ द्वारा महासंघ व सदस्य प्राथमिक

मत्स्य सहकारी समितियों के माध्यम से सार्वजनिक जलाशयों का मत्स्य पालन हेतु प्रबंधन/संचालन किया जा रहा है।

4. राज्य में सहकारिता नीति की आवश्यकता

मध्यप्रदेश के आर्थिक विकास में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कई क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से अन्त्योदय (सबसे कमजोर का कल्याण) और आमजनों के सर्वांगीण विकास की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुआ है, किन्तु निष्पक्ष आकलन में यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि सहकारी आन्दोलन अभी वास्तविक रूप से एक जन आन्दोलन नहीं बन सका है और केवल सीमित क्षेत्रों/विषयों तक ही पहुँच सका है। साथ ही वर्तमान में सहकारिता अन्तर्गत कई आन्तरिक व संरचनात्मक कमियाँ भी प्रवेश कर गई हैं, जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है।

रोजगार सृजन में सहकारिता की बहुत बड़ी व व्यापक भूमिका है। सहकारी आन्दोलन को नए क्षेत्रों तक ले जाने और सहकारी संस्थाओं द्वारा सहकारिता के सिद्धान्तों के साथ-साथ व्यावसायिकता, आधुनिकता एवं कार्पोरेट प्रबंधन के सिद्धान्तों को भी अपनाना समय की मांग है। प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को जन आन्दोलन बनाकर "आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश" के संकल्प को पूरा किया जा सकता है। "सहकार से समृद्धि" के मंत्र के साथ सहकारी समितियों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए के लिए राज्य की एक स्पष्ट सहकारिता नीति की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से आर्थिक स्वावलम्बन,रोजगार निर्माण और उत्पादकता में वृद्धि हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि ऐसे कदम उठाये जायें जो प्रदेश की सहकारी संस्थाओं को उपयुक्त व्यावसायिक व वैधानिक आधार प्रदान करते हों। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि प्रदेश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रखा के नीचे जीवनयापन करता है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस समुदाय के विकास के लिए केवल सहकारी संस्थायें ही उपयुक्त माध्यम प्रतीत होती हैं।

अतः राज्य की यह नीति सहकारिता के सुदृढ़ीकरण एवं इसमें जनता की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित करेगी। सहकारिता नीति के आख्यापन से राज्य में ऐसी सहकारी संस्थाओं का विकास होगा, जो जनतांत्रिक तरीके

से गठित और व्यावसायिक रूप से कार्यक्षम होकर सदस्यों के समुचित आर्थिक विकास में सक्षम होगी तथा "आत्म निर्भर मध्यप्रदेश" के संकल्प को प्राप्त करने के साथ "सहकार से समृद्धि" के लक्ष्य की पूर्ति में भी सहायक होगी।

5. विजन, मिशन एवं उद्देश्य/लक्ष्य

5.1 विजन

राज्य की समृद्धि के लिए सहकारिता को समावेशी तथा संवहनीय विकास का एक मॉडल बनाते हुए प्रदेश में सार्थक और प्रभावी सहकारी जन आन्दोलन निर्मित किया जाना।

5.2 मिशन

सहकारिता के सिद्धांतों और मूल्यों का पालन करते हुए स्पष्ट कार्य योजना के आधार पर अर्थपूर्ण उपायों के माध्यम से अगली पीढ़ी की सहकारी समितियों के निर्माण और मौजूदा सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावी कार्यवाही करना। राज्य शासन की योजनाओं व कार्यक्रमों में सहकारिता को प्रोत्साहन प्रदान करते हुए राज्य शासन द्वारा एक समर्थक, उत्प्रेरक और सहयोगी की भूमिका का निर्वहन करना।

5.3 उद्देश्य एवं लक्ष्य

राज्य की सहकारिता नीति निम्नलिखित उद्देश्यों/लक्ष्यों की पूर्ति पर केन्द्रित होगी :-

(i) सहकारी संस्थाओं के कामकाज में सहकारी मूल्यों और सिद्धान्तों को बढ़ावा देना।

(ii) विभिन्न सहकारी मॉडल की पहचान कर प्रदेश में स्वरोजगार निर्माण के माध्यम से आय संवर्धन एवं समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सम्भावनापूर्ण क्षेत्रों जैसे - कृषि, पशुपालन, श्रम, ग्रामीण परिवहन, ग्रामीण उद्योगों, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, शिक्षा, वनोपज, खनिज, रहवासी, इवेन्ट मैनेजमेंट, पशु आहार, सेवा क्षेत्र, नवकरणीय ऊर्जा, सहकारी कृषि उपकरण बैंक, बीमा, जल वितरण, विद्युत वितरण आदि में सहकारिता का विस्तार।

(iii) आर्थिक विकास में सहकारी संस्थाओं की प्रमुख भूमिका (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में) को मान्यता देकर गैर परंपरागत क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं का विस्तार करके राज्य के अविकसित या कम विकसित क्षेत्रों को आर्थिक संतुलन प्रदान करना।

(iv) नई सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहित करना और विभिन्न शासकीय कल्याणकारी योजनाओं को सदस्यों तक पहुँचाना।

(v) सहकारी क्षेत्र में "एक जिला एक उत्पाद" मॉडल को प्रभावी ढंग से लागू कर प्रदेश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को मजबूती प्रदान करना।

(vi) वनवासी क्षेत्रों में संवहनीय विकास की अवधारणा अन्तर्गत लघु वनोपज के संग्रहण से वंचित उत्पादों को शामिल कर, उनके विपणन एवं मूल्य संवर्धन में अधिक से अधिक व्यक्तियों को सहकारिता से जोडना।

(vii) विभिन्न सहकारी संस्थाओं के उत्पादों एवं सेवाओं की मार्केटिंग एवं ब्राडिंग की रणनीति तथा उनका वाणिज्यिक/राजस्व मॉडल विकसित करना।

(viii) शासन पर सहकारी संस्थाओं की निर्भरता उत्तरोत्तर समाप्त/कम करते हुए उन्हें अधिक से अधिक आत्मनिर्भर और वित्तीय रूप से सक्षम बनाना।

(ix) पंजीकरण में सुगमता, पंजीयन नवीनीकरण, सुगम निकास नीति (पंजीकरण समाप्ति), निर्वाचन आदि के प्रावधान करने के लिए राज्य राहकारी कानून/नियमों में उपयुक्त संशोधन करना ताकि सहकारी संस्थायें वास्तविक लोकतांत्रिक और पेशेवर तरीके से संचालित हो सके।

(x) राज्य की सहकारी समितियों के कामकाज में सार्थक परिवर्तन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वित करना।

(xi) सहकारी संस्थाओं के पारदर्शी, स्वतंत्र एवं गुणात्मक अंकेक्षण एवं शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था करना।

(xii) सहकारी क्षेत्र में निरन्तर क्षमता निर्माण के लिए राज्य में मानक प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे के निर्माण सहित गुणात्मक क्षमतावर्धन योजना के माध्यम से सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन का आधुनिकीकरण करना।

(xiii) प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों को सहकारिता के अन्तर्गत लाना या दोनों के बीच परस्पर लाभकारी अन्त: संबंध विकसित करना।

6. राज्य की सहकारिता नीति

राज्य सरकार अधिघोषणा करती है कि प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को वास्तविक जन-आंदोलन बनाने हेतु "सहकार से समृद्धि" के मंत्र पर आधारित प्रदेश की सहकारिता नीति के विजन, मिशन और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित उपायों का सार्थक और उद्देश्यपूर्ण कार्यान्वयन "आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश" के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे ठोस प्रयासों का अंग माना जाएगा :-

(1) <u>संस्थागत विकास</u>

(i) सहकारी समितियों के कामकाज में सहकारी मूल्यों और सिद्धांतों की भूमिका को बढ़ावा देना।

(ii) राज्य के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना।

(iii) किसानों की आय बढाने हेतु कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास एवं उन्नयन के लिए सहकारी संस्थाओं को पंसदीदा साधन (preferred instrument) का दर्जा/प्रोत्साहन/प्राथमिकता देना।

(iv) 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा सहकारी संस्थाओं के गठन को मौलिक अधिकार में शामिल करने के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए सभी प्रकार की सहकारी समितियों के गठन के लिए प्रवेश बिंदु मानदंड (Entry Point Norms) और मॉडल उप-नियम (Model Bye Laws) तैयार कर सार्वजनिक पोर्टल पर रखना, जिससे वास्तविक जनभागीदारी आधारित स्वस्थ सहकारिताओं का विकास हो सके।

(v) सहकारी क्षेत्र में पब्लिक कोआपरेटिव पार्टनरशिप (PCP) मॉडल तैयार कर क्रियान्वित करना।

(vi) सहकारी समितियों में विभिन्न स्तरों पर आवश्यक क्षमता और दक्षता लाने के लिए ढांचागत, वित्तीय, प्रशासनिक सुधार, कमजोर सहकारी संस्थानों के पुनर्वास के लिए प्रक्रिया और कार्यप्रणाली जैसे व्यवसाय विकास योजना का कार्यान्वयन, सदस्यों की अंशपूंजी-ऋण के लिंकेज में सुधार, निष्क्रिय

सोसायटियों का पुनर्वास या परिसमापन, स्वैच्छिक तौर पर संस्थाओं के बंद किये जाने की प्रक्रिया एवं कार्य प्रणाली का सरलीकरण आदि करना।

(vii) प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं (पैक्स), मार्कफेड सहित सभी सहकारी संस्थाओं को शासन प्रायोजित योजनाओं में 'नुकसान नहीं होने का सिद्धान्त' (No Loss Principle) अपनाकर योजना क्रियान्वित कराना एवं आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना/हानि प्रतिपूर्ति करना।

(2) <u>संरचनागत एवं कानूनी सुधार</u>

(i) सहकारी संस्थाओं में व्यवसायिक प्रबंधन की अवधारणा को प्रोत्साहित कर उन्हें अधिकाधिक आत्म-निर्भर एवं आर्थिक रूप से व्यवहार्य व्यावसायिक इकाई (Visble Business Entity) बनाना।

(ii) राज्य के वर्तमान त्रि-स्तरीय/दो-स्तरीय सहकारी ढांचे को आवश्यकतानुसार और अधिक लचीला बनाना ताकि इससे जुड़ी संस्थाएँ लाभकारी उद्यम बन सकें।

(iii) राज्य के सहकारिता कानून में 97वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43-B में दिये गये 4 सिद्धान्तों क्रमश: स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यावसायिक प्रबंधन का पूर्णत: समावेश किये जाने हेतु प्रदेश के सहकारिता अधिनियम में आवश्यकता अनुसार उपयुक्त बदलाव कर वर्तमान कानूनी ढांचे को अधिक सहभागी एवं समावेशी बनाना।

(iv) सहकारी संस्थाओं के पंजीयन, नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरलीकृत करना।

(v) सहकारी संस्थाओं विशेषकर अक्रियाशील संस्थाओं के लिए पंजीयन समाप्त करने की प्रक्रिया 'निकास नीति' (Exit Policy) को सरल बनाना।

(vi) सहकारी समितियों को दक्षता, व्यावसायिकता, दृढ़ता और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने के लिए राज्य सहकारी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों की समीक्षा करके सहकारी समितियों की मौजूदा चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाना। साथ ही, प्रत्येक वर्ष अद्यतन सदस्यता सूची को प्रकाशित करने, छोटी सहकारी समितियों के लिए चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और जिला स्तर पर ही उनके चुनाव कराने आदि की पारदर्शी प्रक्रिया लागू करने की दिशा में उपयुक्त कदम उठाना।

(vii) समस्त प्रकार की प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को पंजीयन के समय ही स्वत: (automatic) उनसे संबंधित फेडरेशन की सदस्यता दिलाने को वैधानिकता प्रदान करना।

(viii) सहकारी समितियों के विवादों को विभागीय न्यायालयों के माध्यम से निपटाने की मौजूदा प्रणाली के तहत विभागीय न्यायालय में ले जाने से पूर्व प्रथमत: उक्त संस्थाओं से संबंधित केन्द्रीय/शीर्ष संस्था को अपनी सदस्य संस्थाओं के आंतरिक विवाद के समाधान हेतु सुनवाई करने का अधिकार देने हेतु उपयुक्त तंत्र विकसित करना।

(3) <u>सहकारिता में सूचना प्रौद्योगिकी</u>

(i) सहकारी समितियों के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध कराना।

(ii) सभी प्रकार की सहकारी संस्थाओं की कार्य प्रणाली में व्यवसाय सुगमता (Ease of Doing Business) एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा सहकारी संस्थाओं की ज्ञान आधारित संसूचना का उपयोग आमजनों, सदस्यगण एवं अन्य सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में किये जाने हेतु बेहतर सूचना प्रणाली (MIS) विकसित करना।

(iii) सहकार की भावना से समझौता किए बिना राज्य के सहकारी संस्थानों में कॉर्पोरेट प्रशासन के सिद्धांतों को शामिल करने के लिए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल MCA-21 की तर्ज पर विभाग अंतर्गत समस्त सहकारी संस्थाओं के लिए एक eCSMP (e-Cooperative Societies Management Portal) तैयार कर इस पोर्टल पर संस्था के नाम, पते, पंजीयन क्रमांक/दिनांक, संस्था के संपर्क व्यक्ति का पूर्ण विवरण, संस्था के प्रशासक/परिसमापक/संचालकगण, संस्था के अंकेक्षण/निर्वाचन सम्बन्धी विवरण, संस्था के सदस्यों सम्बन्धी विवरण आदि को समाहित करते हुए जन-सामान्य से साझा करना।

(4) <u>सहकारिता को व्यवसाय का एक दक्ष मॉडल बनाना</u>

(i) सहकारी समितियों में सदस्यों की अंश पूंजी को बढ़ाया जाना ताकि वे भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय संस्थानों

के संसाधनों का विशेष प्रयोजन माध्यम (Special Purpose Vehicle) के रूप में उपयोग कर सकें।

(ii) राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में पंजीकृत कमजोर सहकारी समितियों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अन्य वित्तीय और तकनीकी रूप से सक्षम राज्य स्तरीय संस्थानों (सहकारी और गैर सहकारी) का एक नेटवर्क स्थापित करना।

(iii) सहकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश की संभावनाओं का पता लगाकर पूंजी की व्यवस्था करना, साथ ही सहकारी क्षेत्र में पूंजी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए समर्पित वित्तीय संस्थानों की स्थापना/चिन्हांकन हेतु उपयुक्त कार्यवाही करना।

(iv) सहकारी क्षेत्र में स्टार्टअप गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

(v) राज्य के स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध सभी शासकीय सुविधाएं/रियायतें यथासम्भव सहकारी समितियों को भी प्रदान करना।

(vi) शासकीय विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सहकारी संस्थाओं के उन्नयन (Promotion) व सहयोग हेतु कार्यवाही करना।

(vii) सहकारी उत्पादों के समुचित विक्रय/वितरण हेतु ई-मार्केटिंग पोर्टल तैयार करना।

(viii) नवास (नवाचर और अनुसंधान से समृद्धि) की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए, राज्य के लघु और सीमांत किसानों के व्यापक आर्थिक हित में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान के लिए एक उद्यम पूंजी कोष (Venture Capital Fund) स्थापित करना।

(ix) विभिन्न सहकारी संस्थाओं के उत्पादों और सेवाओं के विपणन और ब्रांडिंग के लिए रणनीति तैयार करने में सहायता करना।

(x) राज्य की सहकारी समितियों को राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं की योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करना।

(5) सहकारी समितियों में नवाचार को बढ़ावा देना

(i) अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने और ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक व्यवसायों और कौशल में स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को

बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों, लघु और कुटीर उद्योगों में कार्यरत बढ़ई, लोहार, दर्जी, नाई, कारीगर आदि को सहकारी समितियों के रूप में संगठित कर तथा रोजगार सृजन/वित्तीय सहायता की शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त आय के अवसर उत्पन्न करना और विवश पलायन को रोकना।

(ii) राज्य में स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कृषि, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, पशु आहार, जल संरक्षण, उद्वहन सिंचाई, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, जैव ईंधन उत्पादन, बायोगैस उपकरण, वित्तीय साक्षरता, पर्यटन, सेवा क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में सहकारी समितियों का विस्तार करना।

(iii) सामाजिक सरोकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सामाजिक सहकारिता को बढ़ावा देना।

(iv) सहकारी आंदोलन के विकास/विस्तार के लिए जिला विशिष्ट क्षेत्रों/सेक्टरों की पहचान करने और इन चिन्हित क्षेत्रों में विस्तार गतिविधियों को प्रारम्भ करने के लिए जिला स्तरीय कोर-ग्रुप का गठन कर उनके माध्यम से सहकारी क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न सरकारी विभागों और सामाजिक कार्यकर्ताओं/एजेंसियों की भागीदारी को व्यापक स्तर पर विस्तारित करना।

(v) एमएसएमई के उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से पात्रता अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने और जागरूकता पैदा करने के लिए सहकारी क्षेत्र में एक अभियान शुरू करना तथा आवश्यकतानुसार नवाचार चुनौती प्रतिस्पर्धा (Innovation Challenge Competition) आयोजित करना।

(6) <u>मानव संसाधन विकास</u>

(i) सहकारी संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रबंधक/सचिव) के लिए संस्था के व्यवसाय के अनुरूप न्यूनतम योग्यता मानदंड निर्धारित करना। सहकारी संस्थाओं में पेशेवर निदेशकों की नियुक्ति करना।

(ii) सहकारी संस्थाओं को गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन के चयन एवं नियुक्ति में स्वायत्तता प्रदान करने हेतु पारदर्शी नीति निर्देश तैयार करना।

(7) **सहकारी शिक्षा-प्रशिक्षण**

(i) राज्य के सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों में उचित मानव संसाधन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना ताकि सहकारी एवं संबद्ध क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जा सके।

(ii) प्रदेश में जिला सहकारी संघों एवं सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार कर जमीनी स्तर पर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करना।

(iii) राज्य सहकारी संघ के तत्वावधान में अन्य राज्यों की मौजूदा सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप 'राज्य सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण कोष' की स्थापना करना।

(iv) युवाओं को जागरूक करने के लिए राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में सहकारिता के बुनियादी ज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल करना।

(v) राज्य सहकारी संघ के माध्यम से सहकारी क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए व्यापक क्षमता निर्माण योजना बनाकर गुणवत्तापूर्ण सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, कार्यशाला, शोध, अध्ययन, भ्रमण आदि के माध्यम से सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन को व्यावसायिक बनाना।

(8) **अंकेक्षण/शिकायत निवारण**

(i) अंकेक्षण आवंटन प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप को पूरी तरह से समाप्त करके सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा में इंस्पेक्टर राज को खत्म करने के लिए 'आद्योपांत प्रणाली' (end to end system) बनाना तथा चार्टड एकाउटेंट से ऑडिट कराने का विकल्प उपलब्ध कराना।

(ii) सहकारी संस्थाओं के सदस्यों की शिकायतों/समस्याओं के निवारण की वर्तमान व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु आद्योपांत प्रणाली निर्मित करना और संस्थाओं से संबंधित केन्द्रीय (Central)/शीर्ष (Apex) संस्था के स्तर पर शिकायतों के निराकरण की प्रणाली विकसित करना।

(9) **सहकारिता के विशिष्ट सेक्टरों के लिए**

9.1 **कृषि साख**

(i) प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं (पैक्स) को "सामान्य सुविधा केन्द्र" के रूप में विकसित करते हुए कृषि आदान, ऋण, विपणन एवं अन्य सेवाएं ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराना।

(ii) आर्थिक रूप से कमजोर प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं (पैक्स) को लाभोन्मुखी बनाने हेतु समयबद्ध बिजनेस डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (BDP) आधारित कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वित करना।

(iii) जिले में कृषि अनुशांगिक विभागों/संस्थानों की जमा राशि और बैंक खातों के लिए जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को प्राथमिकता देना।

(iv) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को उनके पूंजी आधार और वित्तीय स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए शासकीय अंशपूंजी और आवश्यक सहायता के लिए उपयुक्त प्रावधान करना।

(v) सहकारी साख संरचना में व्यावसायिकता को बढावा देना और इस हेतु भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड के दिशा-निर्देशों/मापदंडों का पालन कराते हुए इसके पर्यवेक्षण एवं आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना।

(vi) प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के गठन, पुर्नगठन, व्यवसाय, प्रबंधन व क्षमतावर्धन संबंधी मानक तैयार करना।

(vii) प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के सामाजिक सुरक्षा नेट को सुदृढ करने के साथ-साथ पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए जमा, बीमा, पेंशन, अग्रिम और प्रेषण जैसी सूक्ष्म स्तरीय सुविधाएं प्रारम्भ करना।

(viii) जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ई-केवाईसी, आधार प्रमाणीकरण, बीबीपीएस, एईपीएस, यूपीआई आधारित भुगतान, आधार आधारित डीबीटी आदि जैसी ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ पैक्स में माइक्रो-एटीएम की स्थापना करना तथा सहकारी बैंकों द्वारा आधार आधारित सेवाओं जैसे - ई.के.वाई.सी, आधार ऑथेंटिकेशन, भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS), आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AePS), एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) आधारित पेमेंट, आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) आदि ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा दिया जाना तथा पैक्स संस्थाओं में माइक्रो-एटीएम की स्थापना कर ग्रामीण ग्राहकों को लाभ पहुँचाना।

(ix) कृषक सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) हेतु ऑनलाइन आवेदन करने एवं ऑनलाइन नवीनीकरण करने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करना।

(x) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के समस्त कार्यो का कंप्यूटरीकरण कर उन्हें पारदर्शी, प्रभावी, कुशल, परिणाम-उन्मुख बनाने हेतु आवश्यक

वित्तीय एवं प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराकर इनके कम्प्यूटराइजेशन को शीघ्र पूर्ण किया जाना।

(xi) कृषि साख संरचना की मौजूदा क्षमता निर्माण व्यवस्था के उन्नयन हेतु उचित कार्यवाही करना।

9.2 <u>शहरी साख</u>

(i) शहरी साख सहकारी संस्थाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढावा देना।

(ii) नागरिक बैंकों में सदस्यों के पूंजी आधार को बढाने हेतु आवश्यक वैधानिक प्रावधान करना।

(iii) नागरिक सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं के धन की सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय करना।

9.3 <u>सहकारी विपणन</u>

(i) राज्य की प्राथमिक विपणन सहकारी संस्थाओं के आर्थिक उन्नयन की कार्ययोजना तैयार कर क्रियान्वित करना।

(ii) राज्य में सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरक विक्रय एवं अग्रिम भण्डारण को बढावा देना।

(iii) राज्य में सहकारी क्षेत्र में पर्याप्त भंडारण अवसंरचना का विकास करना।

(iv) पैक्स समितियों के स्तर पर उर्वरकों की फ्रेट ऑन रोड (FOR) डिलीवरी सुनिश्चित करना।

9.4 <u>सहकारी आवास</u>

(i) गृह निर्माण सहकारी समितियों का समग्र डाटा आम जन हेतु पोर्टल पर उपलब्ध कराना।

(ii) सहकारी गृह निर्माण समितियों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने हेतु उपयुक्त एवं सशक्त कार्यवाही करना।

9.5 <u>उपभोक्ता सहकारिता</u>

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को बहुउद्देश्यीय समितियों के रूप में विकसित करके उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों

पर उच्च गुणवत्ता की पैक, ब्रांडेड अनियंत्रित उपभोक्ता सामग्री एवं अन्य सेवाएं उपलब्ध कराना।

(ii) सार्वजनिक सहकारी भागीदारी (पीसीपी) के मॉडल के अनुसार चुनिन्दा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को ग्रामीण मॉल के रूप में विकसित करना।

(iii) राज्य/जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से उपभोक्ता सहकारी समितियों को ऋण सीमा प्रदान करने की व्यवस्था करने सहित उनके आर्थिक उन्नयन के लिए कार्य योजना बनाना।

(iv) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के उत्पादों के विपणन एवं बिक्री हेतु प्रियदर्शनी स्वसुविधा केन्द्रों/अन्य माध्यमों से यथासम्भव सहयोग प्रदान करना।

9.6 <u>सहकारी बीज उत्पादन एवं विपणन</u>

(i) अक्रियाशील बीज उत्पादक सहकारी समितियों को क्रियाशील और प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त उपाय करना।

(ii) मांग और आपूर्ति के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य सहकारी बीज संघ के माध्यम से एक मैचमेकिंग पोर्टल विकसित करके प्राथमिक बीज सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित बीजों के वितरण के नेटवर्क को मजबूत करना।

(iii) बीज उत्पादन में कार्यरत समितियों को सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सीमा प्रदान करने की व्यवस्था करना।

(iv) उच्च गुणवत्तायुक्त आधार एवं प्रमाणित बीज का उत्पादन कम लागत के साथ करने के लिए प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी समितियों को अनुशंसित फसल किस्मों के बहु बीज उत्पादन कार्यक्रम (Multiple seed Production Programme), फसल चक्रण (Crop Rotation) के साथ अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

(v) बीज सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित बीजों के प्रसंस्करण और भंडारण के लिए गोदाम सह ग्रेडिंग संयंत्रों के निर्माण को बढ़ावा देना। इस हेतु नि:शुल्क भूमि तथा गोदाम निर्माण और मशीनरी/उपकरण के क्रय पर उचित अनुदान की योजना तैयार/क्रियान्वित करना। इन ग्रेडिंग संयंत्रों का उपयोग किसानों के अनाज की ग्रेडिंग में भी किए जाने हेतु आवश्यकतानुसार कार्यवाही करना।

9.7 लघु वनोपज सहकारी समितियां

(i) प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के स्तर पर लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन की प्रभावी प्रणाली विकसित करना।

(ii) वनवासी क्षेत्रों में संवहनीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने और वनवासियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लघु वनोपज आधारित व्यवसायों में अधिक से अधिक लोगों को सहकारिता से जोड़ना।

(iii) वनवासियों की आय बढ़ाने के लिए उनके द्वारा लघु वनोपजों से प्रसंस्कृत उत्पादों/उप-उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना।

(iv) लघु वनोपज के संग्रहण एवं प्रसंस्करण से अर्जित शुद्ध लाभ का संग्राहक सदस्यों में लाभांश वितरण कराना।

(v) लघु वनोपज से प्रसंस्कृत उत्पादों का ब्रांड विकसित करना तथा वन मेलों जैसे आयोजनों से प्रचार-प्रसार करना।

9.8 डेयरी सहकारिता

(i) डेयरी सहकारी संयंत्रों के लिए बिजली दरों को युक्तिसंगत बनाने पर विचार कर उपयुक्त कार्यवाही करना।

(ii) शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और डेयरी सहकारी समितियों के उत्पादों के लिए नए बाजारों के विस्तार के लिए, नई कॉलोनियों/सरकारी कार्यालयों में सांची पार्लर और आउटलेट की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान के आवंटन में उन्हें वरीयता प्रदान करना।

(iii) विभिन्न पोषण आहार कार्यक्रमों/संस्थागत आपूर्ति के तहत दूध और अन्य दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति के लिए क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध संघों को शामिल करना।

(vi) दुग्ध समितियों को बहुउद्देशीय विपणन समितियों के रूप में विकसित करना।

9.9 सहकारी मत्स्य पालन

(i) सरकारी जल निकायों में मत्स्याखेट के अधिकार के आवंटन में मत्स्य सहकारी समितियों को प्राथमिकता देना।

(ii) केवल वास्तविक मछुआरों को ही प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों में सदस्यता प्राप्त हो, इस हेतु उचित उपाय करना।

(iii) अवैधानिक मत्स्याखेट को पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से नियंत्रित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करना।

(iv) मत्स्य महासंघ द्वारा मछुआरों के लिये स्वास्थ्य कार्ड योजना व अन्य हितग्राहीमूलक योजनाएं लागू की जाना।

7. कार्य योजना

इस राज्य सहकारिता नीति नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक कार्ययोजना, जिसमें समय सीमा के साथ-साथ ली जाने वाली गतिविधियां शामिल होंगी, राज्य सरकार के संबंधित विभागों तथा राज्य/जिला स्तरीय सहकारी संस्थाओं द्वारा तैयार की जायेगी। नीति के क्रियान्वयन एवं उपलब्धियों की सतत **समीक्षा एवं पर्यवेक्षण** प्रत्येक तीन माह में/आवश्यकतानुसार राज्य के **सहकारिता मंत्री/मुख्य सचिव स्तर से** किया जाएगा।

8. उपसंहार

राज्य सरकार को विश्वास है कि यह सहकारिता नीति राज्य में सहकारिता को एक जन आन्दोलन बनाने की दिशा में अग्रसर करने का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिसके परिणामस्वरूप स्वस्फूर्त रूप से अनेक क्षेत्रों में सहकारी संस्थाएं उभरेंगी, जो व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य (Viable) तथा अपने सदस्यों के आर्थिक उत्थान में सक्षम होकर समावेशी विकास का सशक्त माध्यम बनेंगी और फलस्वरूप **'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश'** के लक्ष्य को प्राप्त करने में यह नीति एक प्रभावी पहल सिद्ध होगी।